संख्या-1505/2026/1216/22-2-2026-17(671)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2026

विषय:- नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री शोभा प्रसाद, निवासिनी जनपद-देवरिया की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री शोभा प्रसाद, सिघुवा, थाना-रामपुर कारखाना, जनपद-देवरिया की निवासिनी है। दिनांक 13.10.2008 को खेलते समय दिलीप की अमित से कहासुनी हो गयी और अमित दिलीप को मारने लगा उसी समय शोभा प्रसाद, मालती व अर्चना पहुँचकर मारने लगे। दिलीप को बचाने हेतु उसकी दादी मूर्ति देवी आयी तो उन्हें भी मारा-पीटा गया, जिससे दिलीप की दादी श्रीमती मूर्ति देवी की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-203/2010 में धारा-304/34 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-द्वितीय, देवरिया के दण्डादेश दिनांक 22.08.2025 द्वारा 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक-30.10.2025 तक अपरिहार 05 माह, 06 दिन तथा 05 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 30.10.2025 तक 62 वर्ष, 02 माह, 08 दिन है।

3- सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री शोभा प्रसाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.10.2025 तक महिला बन्दी की 62 वर्ष, 02 माह, 08 दिन की आयु एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 05 वर्ष सश्रम कारावास के सापेक्ष दिनांक 30.10.2025 तक अपरिहार 05 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 05 माह, 12 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी के स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी (बन्दी संख्या-2924) पत्नी श्री शोभा प्रसाद, निवासिनी जनपद-देवरिया की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1505/2026/1216(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया।
2- अधीक्षक, नारी बन्दी निकेतन लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।